भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2706

दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नासा-ग्रसनी और पित्ताशय की थैली के कैंसर के मामले

2706. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामलों से निपटने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी के बीच सहयोग के विशिष्ट अवसरों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नासा-ग्रसनी (नैसोफरिन्जियल) कैंसर के क्या विशिष्ट जोखिम कारक हैं;
(घ) पेयजल में पित्ताशय की थैली के कैंसर के खतरे को बढ़ाने वाले आर्सेनिक के खतरे से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम 'उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में कैंसर विशिष्ट घटनाओं की दर क्या है;
(ङ) पूर्वोत्तर में सरकारी अस्पताल बीबीसीआई में पीईटी- सीटी स्कैन सुविधाएं स्थापित करने की स्थिति के संबंध में अद्यतन जानकारी क्या है और आश्वासन के बावजूद इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और
(च) पूर्वोत्तर भारतीयों के लिए वहनीय कैंसर-उपचार सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीति की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो एस पी सिंह बघेल)

(क) से (च): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र (आईसीएमआर-एनसीडीआईआर) राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या निम्नवत है:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कैंसर के अनुमानित मामले (आईसीडी 10: सी00-सी 97) - (2019-2022) * - महिला पुरूष दोनों			
राज्य	**2020**	**2021**	**2022**
अरुणाचल प्रदेश	1035	1064	1087
असम	37880	38834	39787
मणिपुर	1899	2022	2097
मेघालय	2879	2943	3025
मिजोरम	1837	1919	1985
नगालैंड	1768	1805	1854
सिक्किम	445	465	496
त्रिपुरा	2574	2623	2715

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा उनकी संसाधन सीमा के अधीन तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कैंसर एनपी-एनसीडी का अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम में बुनियादी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन एवं कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार हेतु समुचित स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्र को रेफर करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिला स्तर और उससे निचले स्तर के कार्यकलापों के लिए, राज्यों को एनएचएम के तहत 60:40 (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में 90:10) के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। 31 मार्च 2023 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनपी-एनसीडी कार्यक्रम से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थिति निम्नवत है :

क्रम सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या (मार्च-2023 तक संचयी)**	
		जिला एनसीडी क्लीनिक	**सीएचसी एनसीडी क्लीनिक**
1	अरुणाचल प्रदेश	25	53
2	असम	33	178
3	मणिपुर	16	18
4	मेघालय	11	28
5	मिजोरम	8	10
6	नागालैंड	11	15
7	सिक्किम	4	2
8	त्रिपुरा	7	22
कुल		**115**	**326**

सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) अर्थात् मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा सामान्य कैंसरों की रोकथाम, नियंत्रण एवं जांच के लिए देश में एनएचएम के तहत तथा व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में जनसंख्या आधारित पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल के तहत 30 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों को तीन सामान्य कैंसरों अर्थात् मुख, स्तन एवं गर्भाशय की जांच के लिए लक्षित किया जाता है। आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के तहत इन सामान्य कैंसरों की जांच सेवा प्रदानगी का अभिन्न हिस्सा है।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य आरोग्य केन्द्र योजना के माध्यम से आरोग्य क्रियाकलापों को बढ़ावा देकर तथा समुदाय स्तर पर संप्रेक्षण को लक्षित कर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत कैंसर के निवारक पहलु को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। कैंसर के बारे में जन जागरूकता में वृद्धि करने तथा स्वस्थ जीवन-शैली को बढ़ावा देने के लिए की जा रही अन्य पहलों में समुदाय की निरंतर जागरूकता हेतु राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस एवं विश्व कैंसर दिवस का आयोजन तथा प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाघ सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ आहार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी विभिन्न क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। इसके अलावा, (एनपी-एनसीडी) कैंसर के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) संबंधी क्रियाकलापों के लिए एनएचएम के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन क्रियाकलापों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार आयोजित किया जाता है।

कैंसर के विशिष्ट परिचर्या सुविधा केन्द्रों में वृद्धि करने के लिए, केन्द्र सरकार विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केंद्र योजना का कार्यान्वयन करती है। इस योजना के तहत 19 राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) तथा 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केन्द्रों (टीसीसीसी) की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। अब तक सत्रह स्वास्थ्य केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है । जिनमें से पांच संस्थान पूर्वोत्तर में अनुमोदित किए गए हैं।

1. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, असम (एससीआई)
2. राज्य कैंसर संस्थान, आइजोल, मिजोरम (टीसीसीसी)
3. जिला अस्पताल, कोहिमा, नागालैंड (टीसीसीसी)
4. सोचिगांग, सिक्किम (टीसीसीसी) में मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल
5. कैंसर अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा (एससीआई)

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत नए एम्स तथा अनेक उन्नत संस्थानों के मामले में उनके विभिन्न पहलुओं में ऑन्कोलॉजी पर भी ध्यान दिया जाता है। असम सरकार और टाटा ट्रस्ट

ने रोगी के घर के करीब मानकीकृत और किफायती परिचर्या प्रदान करने के लिए रोगी केंद्रित कैंसर संस्थान बनाने की दृष्टि से डिस्ट्रीब्यूटेड कैंसर केयर मॉडल (डीसीसीएम) नामक एक स्टेप-डाउन कैंसर केयर मॉडल विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । नेशनल कैंसर ग्रिड, टाटा मेमोरियल सेंटर राज्य सरकारों के साथ सीधे कार्य करने के अलावा उत्तर-पूर्व के विभिन्न अस्पतालों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

कैंसर का निदान एवं उपचार स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में यह उपचार निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए नि:शुल्क अथवा अत्यधिक सब्सिडी पर उपलब्ध है। कैंसर का उपचार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना(पीएमबीजेपी) के तहत सभी को गुणवत्तापरक जेनेरिक दवाएं भी वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थाओं में उपचार हेतु वहनीय दवाओं तथा विश्वसनीय इम्प्लांट(अमृत) फॉर्मेसी भण्डारों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य कैंसर की दवाओं को अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर उपलब्ध कराना है।

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च (एनसीडीआईआर) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, नासॉफिरिन्जियल कैंसर से जुड़े जोखिम कारकों में स्मोक्ड भोजन, स्मोक्ड और धुआं रहित तंबाकू, खराब हवादार घर, नाइट्रोसामाइन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन, फलों के सेवन की कमी और एबस्टीन बर्र वायरस शामिल हैं। असम के कामरूप शहरी जिले में पित्ताशय कैंसर की घटनाएँ [आयु-समायोजित दर (एएआर) - पुरुषों में 7.9 और महिलाओं में 16.2] सबसे अधिक थी।

इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (आईएआरसी) ने आर्सेनिक और आर्सेनिक यौगिकों को मनुष्यों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है और यह भी कहा है कि पेयजल में आर्सेनिक मनुष्यों के लिए कैंसरकारी है। असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों के छोटे इलाकों में भूजल में उच्च आर्सेनिक पाया जाता है। भूजल प्रदूषण से निपटने का मुख्य आधार सुरक्षित पेयजल का प्रावधान है, जो सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत किया जाता है।

टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भुवनेश्वर बोरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट (बीबीसीआई) के लिए पीईटी-सीटी स्कैन मशीन का ऑर्डर दे दिया गया है और अद्यतन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के मानदंडों के अनुसार भवन में आवश्यक बदलावों के साथ टर्नकी को शामिल किया गया है।

*****